# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:— 17/25

अमरी पुत्री उगराराम पत्नि खीयाराम जाति नायक निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर जरीये मुख्त्यारआम भंवरलाल पुत्र खीयाराम जाति नायक निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर

वादी

बनाम

1. उप पंजीयक महोदय कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. उप पंजीयक महोदय बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.1955 व अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>**

उपस्थितः— 1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

2. पेरोकार राज

## —: निर्णय :—

दिनांकः— 23-2-26

प्रस्तुत वाद—पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 1454/770, 1455/770, 1456/770, 699, 769 तादादी क्रमशः 6.0000, 0.4196, 0.0680, 1.9096, 2.2764 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 10.6736 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 9 वाके रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी का नाम अमरा पुत्र दूला दर्ज है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम अमरी है तथा वादी के पिता का नाम उगराराम है। जबकि इस खाता में वादी के पिता का नाम दूला दर्ज है। दूला मेरे दादा का नाम है। इस खाता में पुत्री की जगह पुत्र दर्ज है। राजस्व कर्मचारीयों की गलती से इस खाता में पुत्री की जगह पुत्र दर्ज कर दिया गया तथा पिता उगराराम की जगह दादा का नाम दूला दर्ज कर दिया गया। राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अमरा पुत्र दूला व अन्य समस्त दस्तावेजों में नाम अमरी पुत्री उगराराम पत्नि खीयाराम होने से विकय पत्र पंजीकृत करवाने व बैंक ऋण लेने में परेशानी हो रही है। मुझ वादी ने दिनांक 15.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 03 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम जोगलसर के वर्तमान खाता संख्या 09 में मेरा नाम अमरा पुत्र दूला की जगह अमरी पुत्री उगराराम किया जावे। इस पर प्रतिवादी संख्या 03 ने इस

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अमरा पुत्र दूला की जगह अमरी पुत्री उगराराम का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वाद–पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस वाद पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद–पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजुद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें किसी प्रकार का राजहित नहीं बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में वादी का नाम अमरी पत्नि खींयाराम अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अमरा पुत्र दुला अंकित है तथा ग्राम पंचायत जोगलसर ने भी वादी का नाम अमरी पुत्री उगराराम पत्नि खीयाराम किये जाने का प्रमाण पत्र दिया है। इस कारण वादी का नाम शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

## –: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम जोगलसर के वर्तमान खाता संख्या 09 खसरा संख्या 1454/770, 1455/770, 1456/770, 699, 769 तादादी कमशः 6.0000, 0.4196, 0.0680, 1.9096, 2.2764 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 10.6736 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम अमरा पुत्र दुला की जगह अमरी पुत्री उगराराम पत्नि खीयाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23-2-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)